

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. बाबूलाल पुत्र ओमकार जाति अहीर निवासी मोठूका, दलपतपुरा तहसील पाटन जिला सीकर राज0।

– प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार पाटन जिला सीकर राज.।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

मुकदमा-नम्बर 302/2025

जीसीएमएस नं0 2025/481


आदेश

दिनांक - 25/6/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार पाटन एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम मोठूका पटवार हल्का मोठूका तहसील पाटन के खाता संख्या 102, 122, 153, 16, 177, 186, 198, 218, 219, 31, 335, 336, 460, 464 में प्रार्थी का गलत दर्ज नाम “ बाबूलाल पुत्र औकरमल तथा बाबूलाल पुत्र औकर” के स्थान पर सही व वास्तविक नाम “बाबूलाल पुत्र ओमकार” दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रिपोर्ट तहसीलदार पाटन आदेश का भाग समझा जावें।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।




(राजवीर सिंह यादव)
राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना
नीमकाथाना (सीकर)